Regd. No. CHD/0093/2012 2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 6, 2012
(PHALGUNA 16, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th March, 2012

No. 15—HLA of 2012/16.— The Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of Admission, fixation of Fee and Maintenance of Educational Standards) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 15—HLA of 2012

THE HARYANA PRIVATE HEALTH SCIENCES EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION, FIXATION OF FEE AND MAINTENANCE OF EDUCATIONAL STANDARDS) BILL, 2012

A

BILL

to provide for the regulation of admission, fixation of fee and maintenance of educational standards in private health sciences educational institutions in the State of Haryana and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Maintenance of Educational Standards) Act, 2012. Short title

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "aided institution" means a private institution including a minority institution, receiving recurring financial aid or assistance in whole or in part from the Central Government, State Government or any local body;

(b) "common entrance test" means an entrance test, conducted by the State Government or any other agency authorized by it;

(c) "Director" means Director, Medical Education and Research, Haryana;

(d) "fee" means any amount charged by a private institution from a student, in any manner or under any nomenclature and includes all expenses relating to studies, hostel and transport;

(e) "course" means a health science course after completion of which a degree, diploma or certificate is conferred upon a student in Modern System of Medicine or Indian System of Medicine or nursing or any other para-medical course recognized by respective regulatory authority;

(f) "Fee and Admission Committee" means a Committee constituted under section 7 of this Act;

(g) "Indian System of Medicine" means a system of medicine which includes Ayurveda, Unani, Siddha, Homeopathy, Naturopathy, Yoga and such other disciplines, as may be notified;

(h) "management category" means a category of seats reserved for filling up by management out of the sanctioned intake of private institution;

(i) "minority" means a community declared as such by the State Government, by notification;

(j) "minority institution" means a private institution imparting course established and administered by a minority;

(k) "Modern System of Medicine" means a system of medicine which includes all branches of modern medicine and dentistry dealing with pre-clinical, para-clinical, clinical, para-medical and para-dental disciplines at the diploma or degree level or above and such other disciplines, as may be prescribed;

(l) "non resident Indian" means the wards of an Indian having the status of Non-Resident Indian under the law or a student seeking admission having the status of non-resident Indian;

(m) "non-resident Indian category" means a category of seats reserved for filling up by non-resident Indians;

(n) "open merit category" means a category of seats other than management category and non-resident Indian category;

(o) "para medical course" means a course in nursing, multi purpose health workers (MPHW), radiographer, ophthalmic assistant, operation theatre assistant, lab technician, pharmacist and such other course;

(p) "prescribed" means prescribed in the rules;

(q) "private health science educational institution" means a private health science educational institution located in the State (hereinafter referred to as a private institution), which is not established and administered by the Central Government or State Government or a local body, offering degree, diploma or certificate course in Modern System of Medicine or Indian System of Medicine, nursing or para medical or any of its branches as recognized by respective regulatory authority and includes aided institution and unaided institution;

(r) "qualifying examination" means an examination, passing of which is mandatory for a student to get admission to a course in private institution;

(s) "regulatory authority" means a body which has been vested with powers of regulation of a degree, diploma or certificate in Modern System of Medicine , Indian System of Medicine, nursing or any of its branches by Central Government, State Government, any University or by any Statutory or other body which has powers of affiliation, recognition or accreditation of certificate, diploma or degree, as the case may be;

(t) "sanctioned intake" means the total number of seats, sanctioned by appropriate regulatory authority, for admitting students in each course of study in private institution;

(u) "State Government" means the Government of the State of Haryana;

(v) "unaided institution" means a private institution which is not getting an aid from the Central Government, State Government or any local body.

3. (1) The eligibility criteria for admission to a course in a private institution shall be such, as determined by the concerned regulatory authority, from time to time. Eligibility and admission.

(2) The State Government shall specify the admission procedure to a course on the basis of common entrance test, merit in qualifying examination or any other fair, suitable and transparent method.

(3) The common entrance test shall be conducted by the State Government or any other agency authorized by it for making admissions to the private institutions in the State in accordance with the procedure, as may be prescribed or notified.

(4) Admission to the open merit category seats shall be made on the basis of common entrance test or any other procedure as may be prescribed. Admission to management category or non resident Indian category shall be made on the basis of inter-se-merit of the candidates in the common entrance test or qualifying examination or any other suitable method through the centralized receipt of applications and centralized counseling or any other fair procedure, as notified by the State Government, from time to time:

Provided that different methods may be notified for non-resident Indian category or management category by the State Government.

Allocation of seats.

4. (1) The Government shall, by notification, allocate seats for the open merit category, management category and non resident Indian category or any other category for every private institution:

Provided that the total number of seats for management category shall not exceed fifty per cent of the total sanctioned intake:

Provided further that the total number of seats for non-resident Indian category shall not be more than fifteen per cent of the total sanctioned intake and this fifteen per cent shall be out of the seats reserved for management category:

Provided further that if seats for non-resident Indian category remain vacant, the same shall be filled from the management category:

Provided further that if there remains vacancy in management category, the same shall be filled from the open merit category but in case of vacancy in the open merit category, the same may be filled up as per procedure notified by the State Government.

(2) The State Government may prescribe the procedure for making admission by the minority institution.

Reservation.

5. The State Government may direct the private institution to make reservation of seats in the manner, as may be prescribed.

Affiliation.

6. Every private institution shall be affiliated and recognized by a regulatory authority.

Fee and Admission Committee

7. (1) The State Government may constitute a Fee and Admission Committee consisting of such members, as may be notified by the State Government. The committee shall recommend the mode of admission, making of reservation, allocation of seats and fixation of fees etc., to the State Government and may follow procedure as laid down in sub-sections (1),(2) and (3) of section 8.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) above, the State Government shall have the power to review the fee structure recommended by any such committee and fix fee.

(3) The Government may, review the fee structure as recommended by the committee formed for this purpose, prior to the commencement of this Act.

Fixation of fee.

8. (1) The State Government shall, on its own motion or on the recommendation of the Committee, consider the following factors while determining fee to be charged by a private institution, namely:-

(a) nature of courses or curriculum;
(b) capital cost of land, building and equipment;
(c) operational expenditure of the private institution;
(d) expenditure incurred or being incurred on faculty, administration and maintenance of the private institution;
(e) reasonable fund required for growth and development of private institution;

(f) facilities available in the private institution;

(g) age of the private institution; and

(h) any other relevant factor, which the State Government deems just and appropriate for the determination of fee.

(2) For the purpose of determining fee, the State Government may require any private institution to furnish such information, as it may deem appropriate.

(3) The State Government before determining fee under sub-section (1), shall give private institution and the representatives of the students already studying therein, a reasonable opportunity to express their view points in writing with respect to the determination of fee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) and (3), the State Government may in public interest determine a provisional fee till the determination of fee:

Provided that the State Government shall within a period of ninety days from the fixation of such provisional fee, fix fee in accordance with the provisions of sub-sections (1), (2) and (3).

Maintenance of standards and quality

9. (1) The State Government shall ensure that the private institutions are providing good quality education, complying with norms of infrastructure, faculty, training facilities, discipline and other academic standards as prescribed by regulatory authority.

(2) The State Government may issue a notification or pass any such orders, as it deems appropriate for maintaining proper quality and standard of education.

(3) The State Government may require a private institution to file such return, as may be prescribed or provide such information, as it deems appropriate in the prescribed form, in the interest of quality of education.

(4) The State Government upon finding any deficiency or violation by the private institution or otherwise, may issue directions to take corrective action within such time, as may be specified:

Provided that in case of non-compliance of the directions so issued within specified period, the State Government may, impose a fine, as per the provisions of the Act.

Enquiry

10. (1) The Director shall be competent authority to receive complaints against the violation of the provisions of this Act, rules or notification issued thereunder and may cause an enquiry to be conducted into the allegations leveled by the complainant.

(2) The Director shall file the complaint, if in its opinion, it is vexatious, anonymous or pseudonymous complaint or pass such orders, as he may deem appropriate.

(3) The Director may direct the complainant to furnish additional information or an affidavit in support of his allegations.

(4) The Director while holding the inquiry shall have the powers of civil court to access, obtain and scrutinize the records of the private institutions as well as summoning of any person or any relevant official record, which he may deem necessary.

(5) The Director, if after holding the enquiry, finds that the private institution has violated any provision of the Act, rules, notification or direction issued thereunder, it may,

(a) impose a fine on such private institution, which may extend to five lac rupees; or

(b) pass such other appropriate order, as it deems necessary.

Power of the State Government.

11. The State Government, if it is satisfied that a private institution is charging fee more than fee fixed by the Government or has violated any provision of this Act, rules or any notification issued thereunder, shall have power to-

(a) recommend the withdrawal of affiliation or recognition of such private institution from the regulatory authority to which such institution is affiliated or recognized:

Provided that interest of the validly admitted students in the private institution shall be protected while adopting such means, as are considered appropriate ; or

(b) direct such institution to cancel the admission or registration of a student, who has been admitted to such institution in violation of the provisions of this Act or the notification issued there under; or

(c) direct such institution to admit any student to whom admission has been wrongly denied; or

(d) pass any other orders, as it deem appropriate.

Imposition of fine

12. (1) The State Government or Director may impose a fine on a private institution, if it is found guilty of charging fee more than the fee fixed by the State Government, which may extend to fifteen times of the excess fee charges and if not paid otherwise, shall be recovered as arrears of land revenue.

(2) The State Government or Director may impose a fine upto five lac rupees on a private institution, if it fails to comply with the directions or orders issued under this Act:

Provided that no fine shall be imposed unless a show cause notice has been issued to a private institution.

Appeal

13. Any private institution aggrieved by an order made by the Director, may, within a period of sixty days of communication to it, prefer an appeal to the State Government, in such form and manner, as may be prescribed:

Provided that the State Government may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

14. The amount of fine imposed under this Act shall be credited to the Consolidated Fund of the State. Credit of fine.

15. The State Government shall have the power to order special audit to consider whether the private institution is complying with the provisions of this Act, rules, notifications or orders issued thereunder, if there are complaints of violations of the provisions of the Act. Audit

16. The State Government may constitute an Inspection Committee for causing an inspection into the affairs of the private institution and to ensure that the private institution is imparting quality education and complying with the provisions of the Act, Rules and notifications. Inspection Committee

17. The State Government may, from time to time, issue directions to the private institutions, as in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the notifications issued thereunder and such institutions shall comply with the directions, so issued. Powers to issue direction.

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary for removing the difficulty: Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after the expiry of period of two years from the date commencement of this Act.

(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Haryana State Legislature.

19. The Government may make rules to carry out the provisions of this Act. To the extent of any inconsistency, provision of this Act shall prevail over and supersede provisions of any other State law for the time being in force in the State of Haryana. Powers to make rules

20. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer or employee of the State Government or any other person or authority, authorized by the State Government for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the notification issued thereunder. Protection of action taken in good faith.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per judgement of Hon'ble Supreme Court of India in TMA Pai & others V/s State of Karnataka & others dated 31.10.2002 and judgement in Islamic Academy of Education & Others V/s State of Karnataka & Others dated 14.8.2003, it was held that the admission to private institutions should be done in a fair and transparant manner. Besides, the fees structure should be determined by the State so that there is no profiteering. While doing so, the interest of the students and needs of the institutions should be kept in mind. For regulating the admission and fixation of fees of the private health sciences educational institutions an Admission and Fee Committee was constituted on 21.11.2003. As per directions of the Hon'ble Supreme Court in TMA Pai case dated 31.10.2002 and in PA Inamdar case dated 12.8.2005, it was held that State should pass appropriate legislation for regulation of admissions and fee structure of private institutions and till that time the Committee could perform such functions. The term of the Committee has expired recently. Therefore, in view of the above mentioned judgments of Hon'ble Supreme Court, it is highly imperative to pass a law for the regulation of admission, fixation of fee and maintenance of education standards in private health sciences educational institutions in the State of Haryana.

Hence this Bill.

RAO NARINDER SINGH,
Health Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 6th March, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per clause 3 of the Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of admission, fixation of fee and maintenance of educational standards) Bill, 2012 a provision has been made for imposition of fine on a private institution as follows :

(1) The State Government or Director may impose a fine on a private institution, if it is found guilty of charging fee more than the fee fixed by the State Government, which may extend to fifteen times of the excess fee charges and if not paid otherwise, shall be recovered as arrears of land revenue.

(2) The State Government or Director may impose a fine upto five lac rupees on a private institution, if it fails to comply with the directions or orders issued under this Act :

As provision has been made only for imposition of fine, no estimation of income to be deposited in the treasury can be made.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 19 of the proposed Bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2012 का विधेयक संख्या 15 – एच०एल०ए०

हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन तथा शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) विधेयक, 2012

हरियाणा राज्य में निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन, फीस के नियतन तथा शैक्षणिक मानकों के अनुरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन तथा शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषाएं।

(क) "सहायताप्राप्त संस्था" से अभिप्राय है, कोई निजी संस्था इसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय से पूर्णतः या भागतः आवर्ती वित्तीय सहायता या सहयोग प्राप्त कर रही कोई अल्पसंख्यक संस्था शामिल है ;

(ख) "सामूहिक प्रवेश टैस्ट" से अभिप्राय है, राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित कोई प्रवेश टैस्ट ;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान, हरियाणा ;

(घ) "फीस" से अभिप्राय है, किसी निजी संस्था द्वारा किसी छात्र से, किसी रीति में या किसी नाम पद्धति के अधीन प्रभारित की गई कोई राशि तथा जिसमें अध्ययन, छात्रावास तथा परिवहन से संबंधित सभी खर्च शामिल हैं ;

(ङ) "पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, कोई स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रम जिसके पूरा होने पर [illegible] द्वारा मान्यताप्राप्त आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति या भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति या नर्सिंग या किसी अन्य पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम में किसी छात्र को कोई उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है ;

(च) "फीस तथा प्रवेश समिति" से अभिप्राय है, इस अध्यादेश की धारा 7 के अधीन गठित कोई समिति ;

(छ) "भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति" से अभिप्राय है, कोई आयुर्विज्ञान पद्धति जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होमियोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा ऐसे अन्य विषय, जो अधिसूचित किए जाएं, शामिल है ;

(ज) "प्रबन्धन प्रवर्ग" से अभिप्राय है, निजी संस्था में स्वीकृत स्थान (इनटेक) में से प्रबन्धन के द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित सीटों का कोई प्रवर्ग ;

(झ) "अल्पसंख्यक" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा ऐसे रूप में घोषित कोई समुदाय ;

(ञ) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्राय है, किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित तथा प्रशासित पाठ्यक्रम विदित करने वाली कोई निजी संस्था ;

(ट) "आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति" से अभिप्राय है, कोई आयुर्विज्ञान पद्धति जिसमे आधुनिक आयुर्विज्ञान तथा दन्त चिकित्सा से संबंधित प्री-क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल, क्लीनिकल, पैरा-मेडिकल तथा पैरा-डैन्टल विषयों में उपाधि-पत्र या उपाधि स्तर या से ऊपर तथा ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं, की सभी शाखाएं शामिल हैं ;

(ठ) "अनिवासी भारतीय" से अभिप्राय है, विधि के अधीन अनिवासी भारतीय की हैसियत रखने वाले किसी भारतीय के अभिभावक (वार्डस) या प्रवेश चाहने वाला कोई छात्र जो अनिवासी भारतीय की हैसियत रखता हो ;

(ड) "अनिवासी भारतीय प्रवर्ग" से अभिप्राय है अनिवासी भारतीयों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित सीटों का कोई प्रवर्ग ;

(ढ) "ओपन मैरिट प्रवर्ग" से अभिप्राय है, प्रबन्धन प्रवर्ग तथा अनिवासी भारतीय प्रवर्ग से भिन्न सीटों का कोई प्रवर्ग ;

(ण) "पैरा--मेडिकल पाठ्यक्रम'' से अभिप्राय है, नर्सिंग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (एम० पी० एच० डब्ल्यू०), रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, शल्यकक्ष सहायक, प्रयोगशाला तकनीकी, भेषजज्ञ तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम में कोई पाठ्यक्रम;

(त) "विहित'' से अभिप्राय है, नियमों में विहित ;

(थ) "निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्राय है, राज्य में स्थित कोई निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (जिसे, इसमें, इसके बाद, किसी निजी संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जो संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा मान्यताप्राप्त आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति या भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति, नर्सिंग या पैरा--मेडिकल या इनकी किन्हीं शाखाओं में पाठ्यक्रम उपाधि, उपाधि--पत्र या प्रमाण--पत्र प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित तथा प्रशासित नहीं की गई है तथा इसमें सहायताप्राप्त संस्था और असहायताप्राप्त संस्था शामिल है ;

(द) "अर्हक परीक्षा'' से अभिप्राय है, कोई परीक्षा जिसको निजी संस्था में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु पास करना किसी छात्र के लिए आदेशात्मक है ;

(ध) "विनियामक प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, कोई निकाय जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी विश्वविद्यालय द्वारा या किसी कानूनी या अन्य निकाय जो संबंधन, मान्यता या प्रत्यायन प्रमाण--पत्र, उपाधि--पत्र या उपाधि, जैसी भी स्थिति हो, की शक्तियां रखता है, द्वारा आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति, भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति, नर्सिंग या इनकी किन्हीं शाखाओं में किसी उपाधि, उपाधि--पत्र या प्रमाण--पत्र के विनियमन की शक्तियां निहित की गई हैं ;

(न) "स्वीकृत स्थान (इन्टेक)'' से अभिप्राय है, समुचित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निजी संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम अध्ययन में छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वीकृत सीटों की कुल संख्या ;

(प) "राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(फ) "असहायता प्राप्त संस्था'' से अभिप्राय है, कोई निजी संस्था जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रही है।

3. (1) किसी निजी संस्था में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मापदण्ड ऐसा होगा जो समय--समय पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए। पात्रता तथा प्रवेश।

(2) राज्य सरकार सामूहिक प्रवेश टैस्ट, अर्हक परीक्षा या किसी अन्य निष्पक्ष, उपयुक्त तथा पारदर्शी ढंग में मैरिट के आधार पर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) सामूहिक प्रवेश टैस्ट यथा विहित या अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में निजी संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा।

(4) ओपन मैरिट प्रवर्ग सीटों के लिए प्रवेश सामूहिक प्रवेश टैस्ट या यथा विहित किसी अन्य प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। प्रबन्धन प्रवर्ग या अनिवासी भारतीय प्रवर्ग के लिए प्रवेश सामूहिक प्रवेश टैस्ट या अर्हक परीक्षा या आवेदनों के केन्द्रीकृत प्राप्ति के माध्यम से किसी अन्य उपयुक्त ढंग तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित केन्द्रीकृत काउंसेलिंग या किसी अन्य निष्पक्ष प्रक्रिया में उम्मीदवारों की परस्पर मैरिट के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय प्रवर्ग या प्रबन्धन प्रवर्ग के लिए विभिन्न ढंग अधिसूचित किए जा सकते हैं।

सीटों का आबंटन।

4. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक निजी संस्था के लिए ओपन मैरिट प्रवर्ग, प्रबन्धन प्रवर्ग तथा अनिवासी भारतीय प्रवर्ग या किसी अन्य प्रवर्ग के लिए सीटों का आबंटन करेगी :

परन्तु प्रबन्धन प्रवर्ग के लिए सीटों की कुल सख्या कुल स्वीकृत स्थान (इन्टेक) के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि अनिवासी भारतीय प्रवर्ग के लिए सीटों की कुल संख्या कुल स्वीकृत स्थान (इन्टेक) के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा यह पंद्रह प्रतिशत प्रबन्धन प्रवर्ग के लिए आरक्षित सीटों में से होगा :

परन्तु यह और कि यदि अनिवासी भारतीय प्रवर्ग के लिए सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें प्रबन्धन प्रवर्ग से भरा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रबन्धन प्रवर्ग में रिक्ति रहती है, तो उन्हें ओपन मैरिट प्रवर्ग से भरा जाएगा किन्तु ओपन मैरिट प्रवर्ग में रिक्ति की दशा में, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरा जा सकता है।

(2) राज्य सरकार अल्पसंख्यक संस्था द्वारा प्रवेश देने के लिए प्रक्रिया विहित कर सकती है।

आरक्षण।

5. राज्य सरकार निजी संस्था को यथा विहित रीति में सीटों का आरक्षण करने के लिए निदेश दे सकती है।

संबंधन।

6. प्रत्येक निजी संस्था किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा सम्बद्ध तथा मान्यताप्राप्त होगी।

फीस तथा प्रवेश समिति।

7. (1) राज्य सरकार ऐसे सदस्यों को मिलाकर कोई फीस तथा प्रवेश समिति गठित कर सकती है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। समिति प्रवेश का ढंग,

सीटों का आरक्षण, आबंटन करने तथा फीस इत्यादि नियत करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगी तथा धारा 8 की उपधारा (1), (2) तथा (3) में यथा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकती है।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को किसी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई फीस संरचना की समीक्षा करने की शक्ति होगी तथा फीस नियत करेगी।

(3) सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व इस प्रयोजन के लिए बनाई गई समिति द्वारा यथा सिफारिश फीस संरचना की समीक्षा कर सकती है।

फीस का नियतन।

8. (1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या समिति की सिफारिश पर किसी निजी संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस का अवधारण करते समय निम्नलिखित घटकों पर विचार करेगी, अर्थात्:–

(क) पाठ्यक्रमों या पाठ्यचर्या के स्वरूप ;

(ख) भूमि, भवन तथा उपकरण की पूंजीगत लागत ;

(ग) निजी संस्था के परिचालन व्यय ;

(घ) निजी संस्था के संकाय, प्रशासन तथा अनुरक्षण पर उपगत किया गया व्यय या उपगत किया जाने वाला व्यय ;

(ङ) निजी संस्था के वर्धन तथा विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त निधि ;

(च) निजी संस्था में उपलब्ध सुविधाएं ;

(छ) निजी संस्था का काल ; तथा

(ज) कोई अन्य सुसंगत घटक जिसे राज्य सरकार फीस के अवधारण के लिए न्यायसंगत तथा उचित समझे ।

(2) फीस अवधारण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार किसी निजी संस्था से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जो यह उचित समझे।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन फीस अवधारित करने से पूर्व निजी संस्था तथा उसमें पहले से ही अध्ययन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों को फीस के अवधारण के संबंध में लिखित में अपने विचार बिन्दुओं को अभिव्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी।

(4) उपधारा (1), (2) तथा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लोकहित में फीस का अवधारण करने तक अनन्तिम फीस का अवधारण कर सकती है:

परन्तु राज्य सरकार ऐसी अनन्तिम फीस के नियतन से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1), (2) तथा (3) के उपबन्धों के अनुसार फीस नियत करेगी।

मानक तथा गुणवत्ता का अनुरक्षण।

9. (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निजी संस्थाएं अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दे रही हैं, विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विहित अवसंरचना, संकाय, प्रशिक्षण सुविधाएं, अनुशासन के मानदण्डों तथा अन्य शैक्षिक मानकों का अनुपालन कर रही हैं।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी या कोई ऐसे आदेश पारित करेगी जो यह शिक्षा की उपयुक्त गुणवत्ता तथा मानकों के अनुरक्षण के लिए उचित समझें।

(3) राज्य सरकार किसी निजी संस्था से यथा विहित ऐसी विवरणी दायर करने के लिए या ऐसी सूचना जो यह विहित प्ररूप में, शिक्षा की गुणवत्ता के हित में उचित समझे, उपलब्ध करवाने की अपेक्षा कर सकती है।

(4) राज्य सरकार, निजी संस्था या अन्यथा द्वारा की गई किसी त्रुटि या उल्लंघना के पाए जाने पर, यथा विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर यथोचित कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी कर सकती है :

परन्तु विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस प्रकार जारी किए गए निदेशों की अननुपालन की दशा में, राज्य सरकार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर सकती है।

जांच।

10. (1) निदेशक इस अधिनियम, इसके अधीन जारी किए गए नियमों या अधिसूचना के उपबन्धों के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा तथा शिकायत करने वाले द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करवा सकता है।

(2) निदेशक शिकायत, यदि उसकी राय में, यह कष्टदायक, गुमनाम या उपनामीय शिकायत है, फाइल करेगा या ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे।

(3) निदेशक शिकायत करने वाले को उसके आरोपों के समर्थन में अतिरिक्त सूचना या कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है।

(4) निदेशक को जांच करते समय निजी संस्था के अभिलेखों तक पहुंचने, प्राप्त करने तथा संवीक्षा करने तथा किसी व्यक्ति या किसी सुसंगत कार्यालय अभिलेख, जो वह आवश्यक समझे, के समन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।

(5) निदेशक, यदि जांच करने के बाद, पाता है कि निजी संस्था ने अधिनियम, इसके अधीन जारी किये गये नियमों, अधिसूचना या निदेश के किसी उपबन्ध की उल्लंघना की है, तो वह,–

(क) ऐसी निजी संस्था पर जुर्माना अधिरोपित कर सकता है, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है ; या

(ख) ऐसे अन्य उचित आदेश पारित कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

राज्य सरकार की शक्ति।

11. राज्य सरकार, यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि निजी संस्था सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस प्रभारित कर रही है या इस अधिनियम, इसके अधीन जारी

किये गये नियमों या किसी अधिसूचना के किसी उपबन्ध की उल्लंघना की है, तो,--

(क) ऐसे विनियामक प्राधिकरण जिससे ऐसी संस्था सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त है, से ऐसी निजी संस्था का संबंधन या मान्यता को वापस लेने की सिफारिश करने की शक्ति होगी :

परन्तु निजी संस्था में विधिमान्यतः प्रविष्ट छात्रों के हित, ऐसे साधन अपनाते समय जो उचित समझे गए हैं, संरक्षित किए जाएंगे ; या

(ख) छात्र का प्रवेश या पंजीकरण रद्द करने के लिए ऐसी संस्था को निदेश देने की शक्ति होगी, जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन जारी की गई अधिसूचना के उपबन्धों की उल्लंघना में ऐसी संस्था में प्रवेश दिया गया है ; या

(ग) किसी छात्र जिसका प्रवेश गलत ढंग से इनकार किया गया है, को प्रवेश देने के लिए ऐसी संस्था को निदेश देने की शक्ति होगी ; या

(घ) कोई अन्य आदेश पारित करने की शक्ति होगी जो वह उचित समझे।

12. (1) राज्य सरकार या निदेशक किसी निजी संस्था पर जुर्माना अधिरोपित कर सकती है /कर सकता है, यदि यह राज्य सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस प्रभारित करने की दोषी पायी जाती है जो प्रभारित अधिक फीस का पन्द्रह गुणा तक हो सकता है तथा यदि अन्यथा भुगतान नहीं किया गया है, तो यह भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा। जुर्माना का अधिरोपण।

(2) राज्य सरकार या निदेशक निजी संस्था पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है/कर सकता है, यदि यह इस अधिनियम के अधीन जारी निदेशों या आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहती है :

परन्तु कोई भी जुर्माना तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक किसी निजी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी न कर दिया गया हो।

13. निदेशक द्वारा किये गये आदेश से व्यथित कोई निजी संस्था इसकी संसूचना की साठ दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को, यथाविहित, ऐसे रूप तथा रीति में, अपील कर सकती है : अपील।

परन्तु राज्य सरकार साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील ग्रहण कर सकती है, यदि यह संतुष्ट हो जाती है कि अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

14. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने की राशि राज्य की समेकित निधि में जमा की जाएगी। जुर्माना जमा करना।

15. राज्य सरकार को यदि अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन की शिकायतें हैं कि निजी संस्था इस अधिनियम, इसके अधीन जारी किये गये नियमों, अधिसूचनाओं या लेखापरीक्षा।

आदेशों के उपबन्धों की अनुपालना कर रही है, विचार करने के लिए विशेष लेखापरीक्षा के आदेश देने की शक्ति होगी।

निरीक्षण समिति।

16. राज्य सरकार निजी संस्था के कार्यकलापों तथा सुनिश्चित करने के लिए कि निजी संस्था गुणवत्ता शिक्षा दे रही है तथा अधिनियम, नियमों तथा अधिसूचनाओं के उपबन्धों की अनुपालना कर रही है, का निरीक्षण करवाने के लिए निरीक्षण समिति गठित कर सकती है।

निदेश जारी करने की शक्ति।

17. राज्य सरकार, समय-समय पर, निजी संस्थाओं को निदेश जारी कर सकती है, जो उसकी राय में इस अधिनियम तथा इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं तथा ऐसी संस्थाएं इस प्रकार जारी किये गये निदेशों की अनुपालना करेंगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

18. (1) यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, हरियाणा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

19. सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के उपबन्ध किसी असंगति की सीमा तक हरियाणा राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि के उपबन्धों पर अभिभावी तथा अधिक्रांत होंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का सरंक्षण।

20. राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या किये जाने के लिए आशयित है, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाइयां नहीं हो सकेंगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31-10-2002 के टी.एम.ए. पाई व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में तथा दिनांक 14-8-2003 के ईस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य के निर्णय में यह कहा गया कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं के दाखिले उचित एवं पारदर्शी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा फीस ढांचा निर्धारित किया जाये जिससे अनुचित लाभ न हो। ऐसा करते समय विद्यार्थियों के हितों व संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश विनियमन व फीस नियतन के लिये राज्य में दिनांक 21-11-2003 को राज्य एडमीशन व फीस कमेटी का गठन किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टी.एम.ए. पाई के केस में जारी निर्देश दिनांक 31-10-2002 व पी.ए. ईनामदार केस में जारी निर्देश दिनांक 12-8-2005 द्वारा यह कहा गया कि कमेटी तब तक कार्य करेगी जब तक राज्य में निजी संस्थाओं में प्रवेश विनियमन व फीस नियतन के सम्बन्ध में उचित अधिनियम नहीं बनाया जाता। कमेटी की अवधि हाल ही में समाप्त हुई है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हरियाणा राज्य में निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन, फीस के नियतन तथा शैक्षणिक मानकों के अनुरक्षण के लिये एक कानून बनाया जाये।

अतः यह विधेयक।

राव नरेन्द्र सिंह,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
6 मार्च, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा निजी चिकित्सा विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन तथा शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) विधेयक, 2012 के खण्ड 12 अनुसार निजी संस्थाओं पर जुर्माने का अधिरोपण बारे निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :--

(1) राज्य सरकार या निदेशक किसी निजी संस्था पर जुर्माना अधिरोपित कर सकती है/कर सकता है, यदि यह राज्य सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस प्रभारित करने की दोषी पायी जाती है जो प्रभारित अधिक फीस का पन्द्रह गुणा तक हो सकता है तथा यदि अन्यथा भुगतान नहीं किया गया है, तो यह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार या निदेशक निजी संस्था पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है/कर सकता है, यदि यह इस अधिनियम के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहती है :

जब केवल जुर्माने का अधिरोपण बारे प्रावधान किया गया है, खजानें में जमा होने वाली आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 19 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अत: हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन सम्बन्धित है।

49676- -H V.S —H.G.P., Chd